सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-07/2025/975/90-सं0शि0प0का0/2025-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग लखनऊः दिनांक- 20 नवम्बर, 2025

विषय- विकास कार्यों/निर्माण कार्यों के शिलापट्टों पर माननीय जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित किया जाना।

महोदय,

माननीय संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-01/2024/25/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015, दिनांक 05 जनवरी, 2024 व शासनादेश संख्या-06/2025/862/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015, दिनांक 16 सितम्बर, 2025 के साथ ही ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या-3265/38-1-2023-38-1099(99)/16/2022 दिनांक-17 नवम्बर, 2023, नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-5520/नौ-5-2025/कम्प्यूटर संख्या-1966509 दिनांक-16 सितम्बर, 2025, पंचायतीराज विभाग के शासनादेश संख्या-2559/33-2-2025, दिनांक 30 सितम्बर, 2025, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-929/8-7-2025, दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश संख्या-1609/5-4-2025, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेशों के माध्यम से माननीय जनप्रतिनिधियों (माननीय संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों) के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन तथा शिलापट्टों पर उनके नाम अंकित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत हैं, किन्तु इसके उपरान्त भी शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा विकास कार्यों/निर्माण कार्यों से संबंधित शिलापट्टों पर नियमानुसार/प्रोटोकाल के अनुसार उस क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधियों के नाम नहीं अंकित किये जा रहे हैं।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संदर्भित शासनादेशों में निहित व्यवस्था तथा इस विषय में अपने विभाग से निर्गत नियमों, गाइडलाइन्स एवं शासनादेशों के अनुसार शासकीय धन/अनुदान से होने वाले विकास कार्यों/ निर्माण कार्यों के विज्ञापनों एवं शिलापट्टों पर उस क्षेत्र के माननीय सांसद एवं विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के नाम अवश्य अंकित किये जाएं।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

एस0पी0 गोयल,
मुख्य सचिव।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-07/2025/975(1)/90-सं0शि0प0का0/2025 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, माननीय सभापति, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

4- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

8- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।